न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम	:	मनीष कुमार जाटव, (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या	:	4/2023
दायर दिनांक	:	14.02.2023
निर्णय दिनांक	:	21.06.2024

1. ओमप्रकाश पुत्र कन्हैयालाल जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम भण्डाना तहसील दौसा जिला दौसा
2. रामचरण पुत्र कन्हैयालाल जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम भण्डाना तहसील दौसा जिला दौसा
3. शिवचरण पुत्र कन्हैयालाल जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम भण्डाना तहसील दौसा जिला दौसा

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा जिला दौसा
2. कैलाश चन्द पुत्र कन्हैयालाल जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम भण्डाना तहसील दौसा जिला दौसा
3. गैन्दीदेवी पत्नी कन्हैयालाल जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम भण्डाना तहसील दौसा जिला दौसा
4. विनोद कुमार पुत्र कन्हैयालाल जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम भण्डाना तहसील दौसा जिला दौसा

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ग्राम जीरोता खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा के रहने वाले हैं। ग्राम जीरोता खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा में कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 27 रकबा 1.17 है., खसरा नम्बर 38 रकबा 0.06 है. गै.मु. रास्ता, खसरा नम्बर 39 रकबा 0.45 है. स्थित है। जिसके प्रार्थीगण एक मात्र खातेदार काश्तकार व मालिक स्वामी हैं। इस पर प्रार्थीगण काबिज रह कर काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त भूमि से किसी दीगर का कोई लेना देना वास्ता सरोकार नहीं है। प्रार्थीगण अपनी उक्त भूमि में फसल पैदावार करते हैं और प्रार्थीगण अपनी उक्त भूमि की फसल की सुरक्षा हेतु अपनी भूमि के चारों [illegible] की कच्ची डोली व तारबन्दी जानवरों से अपनी फसल की सुरक्षा [illegible] प्रार्थीगण की भूमि की सुरक्षा रहे व प्रार्थीगण की फसल की सुरक्षा रहे। प्रार्थीगण व उक्त भूमि का सीमाज्ञान भी कराया जा चुका है। अतः प्रार्थना पत्र [illegible] पत्थरगढी कराये जाने [illegible] मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग की खसरा नम्बर 27 रकबा 1.17 है., खसरा नम्बर 38 रकबा 0.06 है. गै.मु. रास्ता, खसरा नम्बर 39 रकबा 0.45 है. वाके ग्राम जीरोता खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा की मय पुलिस जाब्ता पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manish Kumar Jatav
Date: 2024.09.24 09:42:44 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गयी। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण इनके विरुद्ध एक

पक्षीय कार्यवाही की गयी। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार दौसा द्वारा जवाब प्रस्तुत कर कथन किया गया कि ग्राम जिरोता खुर्द तहसील दौसा में खसरा नम्बर 27 रकबा 1.17 है. किस्म चाही–2, खसरा नम्बर 38 रकबा 0.06 है. किस्म गै.मु. रास्ता, खसरा नम्बर 39 रकबा 0.45 है. किस्म नहरी भूमि ओमप्रकाश पुत्र कन्हैयालाल हि. 1/6, कैलाशचन्द पुत्र कन्हैयालाल हि. 1/6 राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा भण्डाना, गेंदी देवी पत्नी कन्हैयालाल हि. 1/6 राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा भण्डाना, रामचरण पुत्र कन्हैयालाल हि. 1/6, शिवचरण पुत्र कन्हैयालाल हि. 1/6, विनोदकुमार पुत्र कन्हैयालाल हि. 1/6 राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा भण्डाना समस्त जाति हरियाणा ब्राह्मण नि. भण्डाना दर्ज रिकॉर्ड है। खसरा नम्बर 38 रकबा 0.06 है. किस्म गै.मु. रास्ता सार्वजनिक रूप से रास्ते में उपयोग आ रही है।

प्रकरण में बहस सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थीगण की ओर से कथन किया गया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण प्रश्नगत आराजी की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। तहसीलदार दौसा ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। खसरा नम्बर 38 रकबा 0.06 है. किस्म गै.मु. रास्ता सार्वजनिक रूप से रास्ते में उपयोग आ रही है। चूँकि प्रश्नगत आराजी की खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 के नाम दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है। प्रश्नगत आराजी पर किसी न्यायालय का स्थगनादेश होने के संबंध में तहसीलदार दौसा ने कोई टिप्पणी नहीं की है। किन्तु तहसीलदार दौसा ने खसरा नम्बर 38 रकबा 0.06 है. किस्म गै.मु. रास्ता सार्वजनिक रूप से रास्ते में उपयोग में आने का कथन किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार दौसा को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 की ग्राम जिरोता खुर्द तहसील दौसा स्थित खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 27 रकबा 1.17 है., खसरा नम्बर 38 रकबा 0.06 है., खसरा नम्बर 39 रकबा 0.45 है. का अनुभवी पटवारियों/भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवायी जावे किन्तु दौराने पत्थरगढी इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि पत्थरगढी की कार्यवाही से खसरा नम्बर 38 रकबा 0.06 है. किस्म गै.मु. रास्ता से सार्वजनिक आवागमन में बाधा उत्पन्न न हो। इस बाबत् प्रश्नगत आराजी के खातेदार भी पाबन्द रहें कि पत्थरगढी के दौरान या पश्चात् खसरा नम्बर 38 रकबा 0.06 है. किस्म गै.मु. रास्ता से सार्वजनिक आवागमन में बाधा उत्पन्न न की जावे। प्रार्थीगण से नियमानुसार राजस्व शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार उक्त भूमि के समीपवर्ती काश्तकारों को प्रार्थीगण के खर्चे पर लिखित में सूचना देगा। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावे। अगर पुलिस जाब्ते की जरूरत हो, तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस/होमगार्ड इमदाद प्राप्त की जावे। तहसीलदार दौसा को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manish Kumar Jatav
Date: 2024.09.24 09:42:44 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(मनीष कुमार जाटव)
उपखण्ड अधिकारी दौसा
उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)